भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 181

सोमवार, 29 नवम्बर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

नांदेड़ के प्राचीन तीर्थस्थलों का विकास

181. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को नांदेड के प्राचीन तीर्थस्थलों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा नांदेड़ जिले में तीर्थस्थलों को विकसित करने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पर्यटन स्थलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट 2022-2023 में नांदेड़ सहित अन्य विभिन्न स्थनों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ड.) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): महोदय, महाराष्ट्र राज्य सरकार की ओर से पर्यटन मंत्रालय में नांदेड़ के प्राचीन स्थलों के विकास का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ): महोदय, तीर्थ एवं अन्य पर्यटन स्थलों के विकास एवं रखरखाव की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है। हालाँकि, पर्यटन मंत्रालय भी अपनी "प्रशाद" और "स्वदेश दर्शन" योजनाओं के तहत ऐसे स्थानों के विकास के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय धार्मिक/तीर्थ गंतव्यों/स्थानों को योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर चिह्नित करता है और इस योजना के तहत एसे स्थलों के विकास के लिए परियोजनाओं को एक सतत् प्रक्रिया में स्वीकृति प्रदान करता है।

****